संख्या - 91/2025/715/35-4-2025/35-4099/42/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊः दिनांकः 11 अगस्त, 2025

विषय – जनपद बस्ती में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया में राजकीय पॉलीटेनिक, हर्रैया के भवन निर्माण कार्य के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया में राजकीय पॉलीटेनिक, हर्रैया के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० को नामित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या- 23/2020/262/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1853.95 लाख (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 227/2021/1945/35-4-2021, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 726.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। शासनादेश संख्या- 510/2023/1197/35-4-2023/35-4099/ 42/2023, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 463.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, परन्तु उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि आहरित न होने की सूचना जिलाधिकारी के पत्रांक-325/क्रि0गैप्स-त्व0आ0वि0यो0/आवंटन/2023-24, दिनांक 20 अप्रैल, 2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसके क्रम में शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2023 द्वारा तृतीय किश्त में अनुमन्य धनराशि 463.48 लाख अवमुक्त की गई। शासनादेश संख्या- 02/2025/1474/35-4-2024/35-4099/ 42/2023, दिनांक 03.01.2025 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 462.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई | अद्यतन कुल धनराशि रू0 1852.87 लाख अवमुक्त (100%) की चुकी है, जो कि बचत के उपरान्त शुद्ध लागत के बराबर है |

2- प्रश्नगत परियोजना हेतु पत्र संख्या- 892/ले0-40/त्व0आ0वि0यो0/जी0एस0टी0/2024-25, दिनांक 28.11.2024 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक हरैया, बस्ती हेतु GST की धनराशि रु0 178.57 लाख की माँग की गयी। उक्त मांग के सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-29/2025/203/ 35-4-2025/ 35-4099/42/2023 दिनांकः 25 फरवरी, 2025 द्वारा GST की धनराशि रु0 178.57 लाख निर्गत की जा चुकी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- आपके पत्र संख्या-422/उ0प्र0रा0नि0नि0/2023-24 दिनांक 05, अगस्त 2023 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक हरैया, बस्ती की लागत पुनरीक्षित किये जाने के अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अनुसूची दरों के कारण तथा अतिरिक्त मिट्टी भराई, सब स्टेशन एवं कोर्टयार्ड बाउण्ड्रीवाल की मदों में तथा जी0एस0टी0 सहित राजकीय पॉलीटेनिक, हर्रैया के भवन निर्माण से सम्बन्धित परियोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू. 2479.11 लाख (रूपये चौबीस करोड़ उन्यासी लाख ग्यारह हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य	**अनुमोदित लागत**	**पुनरीक्षित धनराशि** (जी०एस०टी० सहित)
राजकीय पालीटेक्निक धर्मपुर हरैया, बस्ती का भवन निर्माण कार्य	1853.95 (+नियमानुसार जी0एस0टी0 देय)	2479.11 लाख

1. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय संग्रह भाग 6 के अध्याय-12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. कार्य की विष्शिटियां मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी जिलाधकिारी /कार्यदायी संस्था की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रयोजन का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्रियेरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 04 मार्च 2021, दिनांक 16 मार्च, 2022 एवं दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 की बातें यथावत लागू रहेगी।
7. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृति लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
8. जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
9. पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परि पत्र 177/09/2022 TRU दिनाँक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनांक 18-07-2022 से जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत लागत के आंकलन हेतु दिनांक 31-12-2021 तक सम्पादित कार्यों की लागत पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यों की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० अनुमन्य किया गया है। जी०एस०टी० की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो। वास्तिवक जी0एस0टी0 गणना हेतु प्रत्येक बिल का उल्लेख करते हुये जी0एस0टी0 गणना की जाय और आगणनशीट की जाँच करते हुये शासन को उपलब्ध कराया जाय।
12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रयोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है।
13. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है. जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. जी०एस०टी० आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्य जिलाधिकारी का होगा।
17. उक्त संदर्भति शासनादेश दिनांक 17-02-2020 को इस सीमा तक संशोषित समझा जाये।
18. प्रश्नगत कार्य को शासनादेश संख्या- 687/35-4-2025/35-4099/184/2023(पार्ट-2) 17 जुलाई, 2025 में निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जायेगा।
19. उपरोक्त स्वीकृत के क्रम में धनराशि की मांग करते समय अनुबन्ध के आधार पर कार्य लागत व विभिन्न करों की गणना की आगणनशीट शासन को मांग पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5 के अशासकीय (कम्प्यूटर जनित) संख्या-E-5-50-X-2025-26 दिनांक 04.08.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 91/2025/(1)/35-4-2025/35-4099/42/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी,) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वैसरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बस्ती ।
14. अपर परियोजना प्रबन्धक, बस्ती-इकाई, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 बस्ती ।
15. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।